Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
L.D. Appeal No.- 196 /2023

Rafique & Ors .....Appellant

Versus

Abrar Ahmad & Ors. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	24.8.26		

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद संख्या–24 / 2022–23 में दिनांक–21.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

विवादित भूमि का विवरण:–

मौजा	थाना नं0	कायमी खाता	सिकमी खाता	खेसरा	रकवा
गेरूआ	94	141	57	1137 1142	28 डी0 15 डी0

उक्त विवादग्रस्त भूमि पर उभय पक्ष अपना–अपना दावा निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि :–

- प्रश्नगत जमीन के खतियान में डोमनी, पति–गुलाम अली तथा चसम अली, पिता–एकराम का नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज है। साथ ही प्रश्नगत जमीन नकदी सिकमी प्रकृति का है।
- निबंधित विक्रय विलेख सं0–9377 दिनांक–01.05.1981 के माध्यम से उनके द्वारा प्रश्नगत खाता–खेसरा की 14½ डी0 जमीन का क्रय सिकमीदार बीबी सैरूम निशा से किया गया। बाद में चकबंदी सर्वे के दौरान उक्त जमीन का चकबंदी खतियान उनलोगों (वादीगण एवं अन्य) के नाम से बना।
- विपक्षी द्वारा उक्त जमीन का क्रय खतियानी कायमीदारों से किया गया, परंतु कभी भी विपक्षी पक्ष का प्रश्नगत जमीन पर दखल नहीं रहा।
- उनलोगों (वादी) का लगभग 38 वर्षो से अधिक समय से प्रश्नगत जमीन पर दखल–कब्जा रहा है एवं चकबंदी खतियान उनके नाम से दर्ज है, जिस कारण प्रश्नगत जमीन पर उनका (वादी) हक है।

संलग्न दस्तावजों की सूची :–

- निम्न न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की सत्यापित प्रति।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

- केवाला दिनांक–01.05.1981 की छायाप्रति।
- खतियान की छायाप्रति।
- चकबंदी खतियान की छायाप्रति।

विपक्षी सं0–01 का कथन है कि :–

- प्रश्नगत जमीन मो0 ऐनुल हक एवं बीबी गफुरन के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत के मृत्यु के पश्चात खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी द्वारा निबंधित केवाला दिनांक–05.08.2022 के माध्यम से प्रश्नगत खेसरा सं0–1137, 1142 के 37 डी0 जमीन का बिक्री उनको (विपक्षी) किया गया। जिसके बाद विपक्षी द्वारा नामांतरण करवाकर सरकार को भू–लगान अदा कर रहे हैं।
- वादी द्वारा सिकमीदार के पुत्री से प्रश्नगत खेसरा की 14.5 डी0 जमीन का सिकमी हक का क्रय करने का दावा किया जा रहा है, परंतु सिकमी हक खरीद–बिक्री नहीं किया जा सकता है।
- उनके (विपक्षी) द्वारा प्रश्नगत जमीन का खरीदगी के उपरांत ही वे लोग दखलकार हैं। साथ ही सिकमीदार अथवा सिकमीदार के वारिशान कभी भी वाद भूमि पर दखलकार नहीं रहे हैं।
- सिकमीदार के पोते द्वारा Affidavit No.-1419/2022 दिनांक–22.08.2022 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि विपक्षी सं0–01 के विक्रय विलेख सं0–7697 दिनांक–05.08.2022 से संबंधित कागजात सही एवं वैध है।

संलग्न दस्तावजों की सूची :–

- बी0एल0टी0 वाद सं0–80/2024 में दिनांक–09.09.2025 को पारित आदेश की छायाप्रति।

विपक्षी सं0–02–05 का कथन है कि :–

- उनके द्वारा निबंधित विक्रय विलेख (दिनांक–05.08.2022) के माध्यम से प्रश्नगत खेसरा सं0–1137, 1142 के 37 डी0 जमीन का विक्रय विपक्षी सं0–01 को किया गया, जिसके बाद से वाद भूमि पर विपक्षी सं0–01 दखलकार हैं तथा वादी द्वारा गलत एवं फर्जी केवाला के आधार पर वाद भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया है।
- सिकमीदार/वारिशान का कभी भी प्रश्नगत वाद भूमि पर दखल नहीं रहा। साथ ही वादी द्वारा सिकमी हक का क्रय किया जाना कानूनी रूप से सही नही है।

निम्न न्यायालय का आदेश :–

निम्न न्यायालय के स्तर से दोनों पक्ष को सुनने एवं दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत उक्त वाद में स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित रहने के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की गई।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। बी0टी0 एक्ट 1885 के अनुसार Right to transfer, alienate or disposal of interest by other mode do not lie in vendor raiyat. Occupancy rights conferred on under-raiyat by Section 48-C gives right to succession etc. but not right to transfer.

उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दायर वाद में स्वत्व न्याय निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया